डोटासरा अनर्गल बयानबाजी से जनता के बीच अफवाह और भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं : मदन राठौड़

देश में 1992, 2002, 2003 और 2004 के दौरान कांग्रेस सरकारों ने एसआईआर कराया था; अब प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

नई दिल्ली/जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राठौड़ ने कहा कि डोटासरा का यह स्वभाव बन चुका है कि वे बिना तथ्य और प्रमाण के मनगढ़ंत बातें करें और जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास करें। अफवाह फैलाना और अनर्गल बयानबाजी करना अब उनकी राजनीति का स्थायी हिस्सा बन गया है।

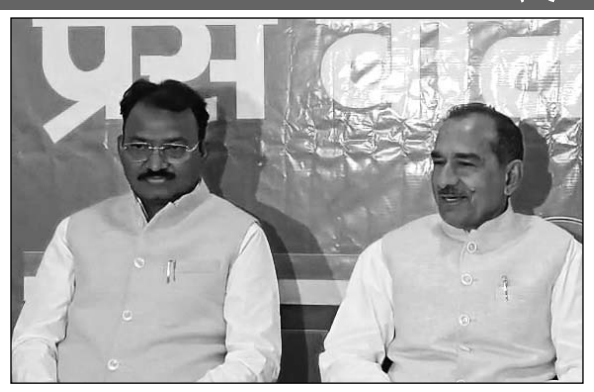

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉफ्रेंस की।

- देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत हैं : मदन राठौड़
- एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित, इसमें आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार सभी को, हर आपत्ति की होगी विधिवत जांच : प्रेमचंद बैरवा

राठौड़ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कहा जाता है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में भी यह प्रक्रिया कई बार अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 में एसआईआर हुआ, इसके बाद 2002, 2003 और 2004 में भी विभिन्न राज्यों में कांग्रेस सरकारों के दौरान मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया गया। ऐसे में आज इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य केवल और केवल यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र व्यक्ति का नाम सूची से हटाया जाए। इसमें किसी जाति, धर्म, वर्ग या मजहब का कोई भेदभाव नहीं होता। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ यह कार्य करता है। आयोग का एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है, न कि किसी राजनीतिक दल को लाभ या हानि पहुंचाना।

राठौड़ ने कहा कि जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है, उसका नाम मतदाता सूची से हटाने में क्या दिक्कत है। जो लोग जीवित नहीं हैं या जिनका नाम दो जगह दर्ज है, उनके नाम क्यों न काटे जाएँ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और उसे अपना जनाधार खोने का डर सता रहा है।

मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार एसआईआर को लेकर झूठे आरोप गढ़ रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के नाम लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत हैं। इन नेताओं ने एसआईआर को लेकर न तो कोई बयान दिया है और न ही कोई चर्चा की है। वे अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे, लेकिन कांग्रेस को हर जगह काल्पनिक साजिशें नजर आने लगती हैं।उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने डोटासरा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है और हर आपत्ति की विधिवत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा फॉर्म जमा होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सभी फॉर्म की जांच होगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत वास्तविक मतदाता की ही पुष्टि की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा उन्हीं व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है, जिन्हें उसने स्वयं लागू किया था।

ईवीएम कांग्रेस की ही देन है, लेकिन चुनाव हारते ही वही ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगती है। इससे पहले एसआईआर भी कांग्रेस के समय भी होता था, लेकिन अब सवाल उठाए जा रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है।

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अगर कांग्रेस को बहस करनी है तो वह विधानसभा में आए। हमारे दो साल के कार्यकाल की तुलना कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल से की जाए, हम बहस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा जाना नहीं चाहते और सदन का सामना करने से बचते हैं। बैरवा ने कहा कि जनता को गुमराह करने का प्रयास ठीक नहीं है, अगर किसी मुद्दे पर संवाद चाहिए तो सरकार जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं और 90 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। कांग्रेस आमने-सामने बैठकर चर्चा करे, सरकार हर सवाल का जवाब देगी।

डोटासरा व जूली ने भाजपा पर लगाया मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप

जयपुर (कासं)। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया। दोनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि, भाजपा द्वारा राजस्थान में "धोखाधड़ी" के जरिए कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रच रही है। डोटासरा ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) के बाद लगभग 45 लाख नाम "अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत" पाए गए, जिसके बाद 15 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष के राजस्थान दौरे के बाद अचानक फर्जी तरीके से नाम जोड़ने और हटाने का काम शुरू हो गया।

- दोनों कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रैस कॉफ्रैंस कर कहा कि "एस.आई.आर. के बहाने में राजस्थान में कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश चल रही है।"

डोटासरा ने दावा किया कि, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 20 कंप्यूटरीकृत फॉर्म वितरित किए गए। बीजेपी विधायकों और मंत्रियों ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के फर्जी हस्ताक्षर वाले हजारों फॉर्म एस.डी.एम. को सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार, एक बीएलओ एक दिन में केवल 10 फॉर्म ही वितरित कर सकता है। लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। कई बीएलओ ने मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर फर्जी है। डोटासरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 13 जनवरी के जयपुर दौरे को एक "गुप्त ऑपरेशन" बताया और आरोप लगाया कि, अमित शाह के दौरे के बाद मतदाता सूचियों में बदलाव की प्रक्रिया में तेजी आई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग के नवीन महाजन से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर इन फर्जी फॉर्म्स को स्वीकार करने के लिए भारी दबाव बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी डोटासरा के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि, बीजेपी ने स्थानीय पदाधिकारियों को पेन ड्राइव में डेटा दिया है ताकि वे हर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस समर्थकों के नाम हटा सकें और बीजेपी समर्थकों के फर्जी नाम जोड़ सके।

पूर्व पार्षद ने एसआईआर को लेकर दर्ज कराया मुकदमा

जयपुर। लालकोठी पुलिस थाने में आदर्श नगर निवासी पूर्व पार्षद अकबरद्दीन ने वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए परिवाद दिया है। पूर्व पार्षद अकबरद्दीन का कहना है कि, वह मकान नंबर 188, धन्नादास की बगीची, धोबियो का मोड आदर्श नगर के निवासी है। पूर्व में उनका नाम वार्ड नंबर 89 के भाग 107 सांगानेरी गेट की वोटर लिस्ट के क्रम संख्या 692 पर दर्ज है। जिसका ईपिक नम्बर एमसीएम 3202645 है। पिछले दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बीएलओ पुष्पा ने मुझे परिगणना परिपत्र दिया गया था, जिसे मैने नियमानुसार भरकर जमा करवा दिया था। क्षेत्र के लोगों को एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्राप्त नोटिस के जवाब देने के लिए मैं जब अपने बूथ सांगानेरी गेट पर 15 जनवरी को गया तो पता लगा कि सभी बीएलओ महात्मा गांधी स्कूल, गोल चक्कर आदर्श नगर में मीटिंग में गए हुए है। मैं वहां पहुंचा तो बीएलओ पुष्पा ने बताया कि, किसी अशोक नाम के व्यक्ति ने फार्म नम्बर 7 भरकर जमा करवाकर गया है। उस फार्म में आपका नाम व ईपिक नम्बर तथा मकान नम्बर लिखा हुआ है। जबकि मकान नम्बर 188, मेरे पिता द्वारा करीब 50 वर्षों पूर्व खरीद किया गया था। तभी से हमारा परिवार मकान नं. 188 पर रह रहा है। इसी मकान में मेरा पार्षद कार्यालय बना हुआ है। जहां वार्ड नम्बर 89 के नागरिक प्रतिदिन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मेरे कार्यालय में आते जाते रहते है। जानकारी के मुताबिक अशोक भाजपा बीएलए सुनील का भाई है, इस षडयंत्र में और भी लोग शामिल है जो अनुसंधान में पता चलेगा। अशोक व उसके भाई सुनील द्वारा दर्जनों फर्जी व कुटरचित फार्म 7 झूठी व असत्य घोषणा कर जानबूझकर बूथ संख्या 107 पर जमा कराये गये है।

सीमावर्ती और ट्राइबल क्षेत्रों में प्राथमिकता से भरेंगे चिकित्सकों के पद : खींवसर

एफआरयू और ट्रॉमा सेंटर में भी रिक्त पदों पर जल्द होगी नियुक्ति

जयपुर (कासं)। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों पर जल्द चिकित्सक लगाए जाएंगे। इन पदों को अधिशेष एवं एपीओ चल रहे चिकित्सकों से भरा जाएगा। इसमें सीमावर्ती एवं ट्राइबल जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, एफआरयू एवं ट्रॉमा सेंटर में भी प्राथमिकता के साथ विशेषज्ञ लगाकर इन्हें क्रियाशील किया जाएगा।

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में अधिकारियों की बैठक ली।

- स्थानांतरण के बाद ज्वाइन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में सोमवार को आयोजित बैठक में इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने सभी जिलों में संचालित ट्रॉमा सेंटर, जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता अनुरूप चिकित्सकों के पदस्थापन के निर्देश दिए। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर उन्होंने चिकित्सकों की आवश्यकता पर चर्चा की।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ओपीडी- आईपीडी में मरीजों के भार को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों की आवश्यकता की जानकारी तत्काल भेजें ताकि अत्यधिक आवश्यकता वाले स्थानों पर जल्द चिकित्सकों का पदस्थापन किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्थानांतरण उपरांत निर्धारित अवधि में चिकित्सक ज्वाइन करें।

आदेश की अवहेलना करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।खींवसर ने प्रत्येक विधानसभा में मॉडल सीएचसी एवं बीपीएचयू की मैपिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉडल सीएचसी के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

बैठक में निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर, निदेशक अराजपत्रित राकेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आईसीडीएस निदेशालय का प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू

जयपुर। उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन एवं प्रेरणा से निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) की ओर से सोमवार को प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया गया है। निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। जिसे प्रेग्नेन्सी रजिस्ट्रेशन एण्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एण्ड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अर्थात प्रेरणा अभियान 2.0 नाम दिया गया है। निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने बताया कि 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस अभियान के तहत आईसीडीएस सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती (शुरुआती तीन माह) व धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया जायेगा। वासुदेव मालावत ने बताया कि लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, पूरक पोषाहार, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आदि से लाभान्वित किया जाना लक्षित किया गया है।

पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला सम्मानित

जयपुर। 78वें सेना दिवस के उत्कृष्ट एवं सफल आयोजन के उपलक्ष्य में जयपुर मिलिट्री स्टेशन में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, आर्मी कमांडर, सप्त शक्ति कमान की अध्यक्षता में एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्देश्य सेना दिवस परेड 2026 के सुव्यवस्थित एवं अनुकरणीय आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों को सम्मानित करना था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सिविल गणमान्य व्यक्तियों तथा सप्त शक्ति कमान के सैन्य कर्मियों को उनके अनुकरणीय समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए सम्मानित किया।

सप्त शक्ति सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में दक्षिण-पश्चिम कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल

मनजिंदर सिंह ने केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) एवं पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला समेत 13 सिविल अधिकारियों को आर्मी कमांडर प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने 8 आर्मी कमांडर प्रशस्ति पत्र, जबकि सैन्य कर्मियों को 40 आर्मी कमांडर प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, समारोह के दौरान एक वेटेरन अचीवर अवार्ड भी प्रदान किया गया।

आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने 78वें सेना दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगी संस्थाओं और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारतीय सेना केवल राष्ट्र की ही नहीं, बल्कि नागरिकों की भी सेना है। अत: सेना दिवस का उत्सव केवल सेना तक सीमित न रहकर नागरिकों की सहभागिता के साथ मनाया जाना चाहिए। आर्मी कमांडर ने बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए 'समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें सैन्य एवं सिविल संस्थाओं के बीच सशक्त समन्वय अनिवार्य है।

नगरीय विकास में गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊ विकास महत्वपूर्ण : देबाशीष पृष्टि

जयपुर (कासं)। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारियों-कार्मिकों के लिए दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा हैं, जिसका सोमवार को जयपुर स्तिथ आरआईसी में शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य शहरी विकास, आवास एवं निर्माण सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में भारतीय मानकों की उपयोगिता, अनुपालन एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन करना है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य अतिथि देबाशीष पृष्टि, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास एवं आवासन विभाग ने की। पृष्टि ने शहरी अवसंरचना, आवास एवं नागरिक सेवाओं में गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में अधिकारियों का तकनीकी रूप से सशक्त होना समय की आवश्यकता है। इस प्रकार की क्षमता संवर्धन कार्यशालाएं अधिकारियों को नवीन निर्माण तकनीकों, आधुनिक परियोजना प्रबंधन पद्धितयों एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। शहरी विकास परियोजनाओं की सफलता गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं भारतीय मानकों के प्रभावी अनुपालन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि के मानकों को अपनाकर न केवल निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित एवं टिकाऊ अवसंरचना भी उपलब्ध कराई जा सकती है। उद्घाटन सत्र के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो, राजस्थान की निदेशक एवं प्रमुख, कनिका कालिया ने अपने उद्बोधन में बताया कि न केवल मानक बनाने वाली संस्था है, बल्कि यह सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में परियोजना प्रबंधन, भू-तकनीकी जांच, अच्छी

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने माणक ब्यूरो की कार्यशाला को संबोधित किया।

निर्माण प्रथाएं, अग्नि एवं जीवन सुरक्षा, भवन सेवाएं, वॉटरप्रूफिंग, दिव्यांगजन हेतु सुगम्यता, नवीन सामग्री, गुणवत्ता परीक्षण, परिसंपत्ति प्रबंधन, रेट्रोफिटिंग तथा वर्षा जल संचयन जैसे विषयों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के दौरान बीआईएस के विशेषज्ञों द्वारा निर्माण सामग्री, भवन सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, जल एवं स्वच्छता, स्मार्ट सिटी से जुड़े मानकों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। साथ ही प्रतिभागियों के साथ संवादात्मक सत्र के माध्यम से उनके प्रश्नों का समाधान किया गया। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि के लगभग 110 से अधिक अधिकारी व अभियंता मौजूद थे।

680 ग्राम गांजा समेत तस्कर गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (क्राइम ब्रांच सीएसटी) ने कार्रवाई करते भांकरोटा इलाके से अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से अवैध मादक पदार्थ तस्करों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। पुलिस कमिश्नर जयपुर सचिन मित्तल ने बताया कि सीएसटी आयुक्तालय जयपुर की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ भांकरोटा पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए रोहित मालावत (24) निवासी जयसिंहपुरा, हाल भांकरोटा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 680 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया।

सीमा शुल्क चोरी के आरोपी को जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

414 करोड रुपए के माल की सप्लाई के लिए फर्जी फर्म के बिल जारी कर सीमा शुल्क चोरी का मामला

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 414 करोड रुपए के माल की सप्लाई के लिए फर्जी फर्म के बिल जारी कर सीमा शुल्क चोरी के आरोपी सुरेंद्र माली को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस वीके भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को विभाग ने जनवरी, 2022 से मार्च, 2024 तक 21 बार समन भेजे, लेकिन आरोपी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ। इसके अलावा प्रकरण में अभी अनुसंधान लंबित है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

जमानत याचिका में कहा गया कि वह गत एक अगस्त से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विभाग ने उसके बयान दबाव में लिए हैं और अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। वहीं उसके खिलाफ संबंधित न्यायालय में आरोप भी पेश हो चुका है। इसके अलावा प्रकरण पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर है और गवाह कस्टम अधिकारी हैं। ऐसे में उसकी ओर से साक्ष्य से छेडछाड और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका भी नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विभाग की ओर से अधिवक्ता किंशुक जैन ने कहा कि आरोपी ने अन्य लोगों से मिलीभगत कर अस्तित्वहीन फर्म के नाम से करोडों रुपए के सर्टिफिकेट जारी करते हुए भारी भरकम राशि देश के बाहर की अवैध फर्मों को भेजी और इसके एवज में सोने और डायमंड सहित अन्य मूल्यवान वस्तुओं का अवैध रूप से आयात किया। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

नगर निगम में आने वाले हाइवे से शराब की दुकानें हटाने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

जयपुर (कासं)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें प्रदेश के नगर निगम व स्थानीय निकाय क्षेत्र में आने वाले नेशनल व स्टेट हाइवे के किनारे संचालित 1102 शराब की दुकानों को हटाने व शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और अन्य लाइसेंस धारकों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने 500 मीटर की पाबंदी को दुबारा से लागू कर दिया है। जबकि निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए बाध्यकारी स्पष्टीकरणों के विपरीत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 31 मार्च 2017, 11 जुलाई 2017 तथा 23 फरवरी 2018 में भी दिशा-निर्देश दिए गए थे।

इनमें कुछ मामलों में दूरी की सीमा को घटाकर 220 मीटर किया गया था और नगर निगम इलाकों के सीमा में स्थित शराब दुकानों को राज्य ने भी तथ्यों के आधार पर व्यापक निषेध से बाहर रखा है।

वहीं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर हाईकोर्ट, अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से घोषित विधि को न तो नजर अंदाज कर सकता है और न ही उसे निरस्त कर सकता है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिए गए विवेकाधिकार को सीमित कर सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

जेके लॉन अस्पताल में महिला कर्मचारी से नर्सिंगकर्मी ने की छेड़छाड़

जयपुर। एसएमएस थाना इलाके में स्थित जे के लॉन अस्पताल में देर रात नर्सिंग कर्मचारी ने कॉन्ट्रैक्ट पर लगी महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में कार्यरत अन्य महिला कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला कर्मचारी की लिखित शिकायत पर आरोपी नर्सिंगकर्मी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया।

गौरतलब है कि पीडित महिला वार्ड हेल्पर के रुम में अस्पताल में कार्यरत है। आरोप है कि रविवार देर रात 2 बजे वो वार्ड में बने वॉशरुम में टॉयलेट करके बाहर निकली ही थी की नर्सिंग कर्मचारी विजय कुमार मीणा ने उसे गेट के बाहर रोक लिया और उसका हाथ पकड लिया। जिसके बाद आरोपी ने उसे बैंच पर बिठा और दोनो कंधे पकड कर लिए। पीडिता ने धक्का देकर खुद को छुडवाया। आरोपी विजय मीणा ने पीडिता को धमकाते हुए कहा की तुझे पैसे चाहिए तो पैसे ले ले और ड्यूटी पर नहीं आएगी तो उपस्थिति भी लगा दूंगा। लेकिन पीडिता आरोपी का विरोध करते हुए बाहर आ गई और मामले की जानकारी सीनियर स्टाफ को दी। लेकिन शिकायत के बाद भी सीनियर स्टाफ ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीडिता अन्य महिला स्टाफ के साथ सोमवार को अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने में जुट गई और आरोपी को सस्पेंड करने की मांग करने लगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के.जैन का निधन

जयपुर। पूर्व न्यायिक अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार जैन (ए.के.जैन) का सोमवार को हृदयाघात से निधन हो गया। वे करीब 70 वर्ष के थे। दिनभर न्यायिक कार्यों को संपादित करने के बाद शाम को वे अपने कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। इस पर उन्हें नजदीक स्थित मैक्सवैल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

नया जयपुर बना रहे हैं, लेकिन 30 फीट चौडी रोड भी नहीं दे रहे : हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट में शहर के गांधी पथ सहित आसपास के एरिया में अतिक्रमण से जुडे मामले में जेडीसी पेश हुए। अदालत ने कहा कि उन्होंने हाल ही में पद ग्रहण किया है, ऐसे में इन मामलों को देखे। इसके साथ ही अदालत ने पांच फरवरी को जेडीसी को फिर से पेश होने को कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीसी को कहा कि शहर में कई जगह अतिक्रमण हो रहे हैं और उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं पेश हो रही हैं। यह बडे आश्चर्य की बात है कि पहले तो अवैध निर्माण को बनने दिया जाता है।